



ISSN 2394-5303

International Multilingual Research Journal

Printing Area

Issue-09, Vol-01, Sept. 2015

Editor

Dr. Bapu G. Gholap

28) समकालीन हिन्दी कविता में दलित चेतना डॉ. स्वामी राम बंजारे 'सरल', कांकेर छ.ग.	105
29) नारी शोषण समस्या और समाधान श्रीमती स्नेहलता खलखो, सीतापुर	109
30) शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक चेतना की उपादेयता विनोद कुमार कूकना, नई दिल्ली	117
31) आधुनिक सभ्यता, समाज और साहित्य की चुनौतियां कादम्बिनी मिश्रा, बिलासपुर (छ०ग०)	119
32) औचित्य का मानदण्ड और स्त्री विमर्श डॉ० इन्द्र बहादुर सिंह, समोधपुर, जौनपुर	123
33) बच्चों का भविष्य बड़ों के हाथों में (बालश्रम के विशेष संदर्भ में) Dr. (Mrs.) Vrinda Sengupta, Janjgir	125
34) आरक्षण नीति का अनुसूचित जाति व जनजाति पर प्रभाव डॉ० भावना पलड़िया, हल्द्वानी (नैनीताल)	129
35) जलवायु परिवर्तन : कृषि और समाज व्यवस्था डॉ. (कु.) अरुण कुमारी सिंह, मण्डला (म.प्र.)	137
36) आधुनिकता : भाषा और भूमण्डलीकरण पल्लवी रिनाहिते, बिलासपुर (छ.ग.)	139
37) राजनीति एवं भ्रष्टाचार : चिंतन एवं चुनौतियाँ प्रा. रवींद्र श्रीधर निरगुडे, चिंचवड, पुणे.	142
38) काव्यप्रकाश की प्रमुख टीकाओं में व्यक्तिशक्तिवाद मृगाक्व मलासी, दिल्ली	144
39) ऑनलाइन शॉपिंग का उपभोगताओं पर प्रभाव भोपाल शहर के संदर्भ में सम्मर सिंह कुशवाहा, डॉ. आर के शुक्ला	150
40) चंद्रकांत देवताले के काव्य में प्रतीक डॉ. चंद्र खंदारे, जि. डिक्कीगुल (TN)	154
41) कीर्तिमान सानिया मिर्जा प्रा. मुळे यु.ए., परळी वै जि. बीड	155

नारी शोषण समस्या और समाधान

श्रीमती स्नेहलता खलखो

सहा. प्राध्यापक हिन्दी

शा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय सीतापुर

जैसे-जैसे मानव सभ्य होता गया, उसकी जरूरतें बढ़ती गयी और इसी के साथ बढ़ती गई अपराध की तीव्रता और उसकी बारम्बारता। कुछ विद्वान महिला अपराध अपराध को दो वर्गों में विभाजित करते हैं-महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अपराध और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध।

राष्ट्र कोई भी हो, सभी जगह के कानूनों ने अपराध की सर्वसम्मत परिभाषा की हो मान्यता दी है। कानून की दृष्टि से ऐसा कोई भी कार्य या कृत्य, जिसे कानून वर्जित मानता है, अपराध कहलाता है। अपराध शब्द का वर्गीकरण भी विद्वानों ने अपने-अपने तरीके से किया है। कुछ लोगों के अनुसार अपराध दो प्रकार के होते हैं-आर्थिक अपनराध और सामाजिक अपराध। एक और वर्गीकरण के अनुसार अपराध के दो पक्ष होते हैं, कानूनी पक्ष और नैतिक पक्ष।

विश्व भर में जितने भी अपराध होते हैं उनमें से सर्वाधिक शोषण महिलाओं के विरुद्ध किए जाते हैं, बात चाहे बलात्कार की हो या बलात अपहरण की बात हम वेश्यावृत्ति की करें या दहेज उत्पीडन की, ये सभी अपराध महिलाओं के विरुद्ध किए जाते हैं। कुछ शोषण ऐसे भी है जो महिलाओं (प्रेमिकाओं) के लिए किए जाते हैं। इनमें सबसे अधिक प्रतिशत हत्या जैसे जघन्य अपराधों का है। अक्सर देखा गया है कि किसी विवाहित महिला के अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से शारिरिक सम्बन्ध बन जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में महिला के प्रेमियों में परस्पर भिड़न्त हो जाती है जिसकी परिणति हत्या जैसे अपराधों में होती है। कई बार

एकतरफा प्रेम के वशीभूत व्यक्ति अपनी प्रेमिका को ही मार देता है। इसी प्रकार के कई और भी शोषण है जो महिलाओं के लिए किए जाते हैं अर्थात जिनके केन्द्र में कोई न कोई महिला होती है।

यह सही है कि अधिकतर अपराधी पुरुष ही होते हैं लेकिन अब महिलाएँ भी इस क्षेत्र में आ रही हैं। महिला स्वतंत्रता के इस युग में महिलाएँ किसी से भी पीछे नहीं हैं। जीवन के इस प्रत्येक क्षेत्र में वे अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं बात चाहे पुलिस कि हो या व्यवसाय की बात चाहे सेना की हो या नौकरी की अब महिलाएँ सभी क्षेत्र में आगे आ रही हैं। दुर्भाग्य से अपराध की स्याह दुनिया में भी महिलाएँ पीछे नहीं हैं। सभी प्रकार के अपराध आज महिलाओं द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं। फूलन देवी और कुमुमा नाइन के किस्से पुराने हो चुके हैं। महानगरों में वेश्यावृत्ति के अधिकतर अड़्डे महिलाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। महिलाएँ ही भोली-भाली लड़कियों को फंसाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलती हैं। वेश्यावृत्ति के वाद तस्करी ऐसा अपराध है जिसमें महिलाएँ बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। चूँकि महिलाओं पर आसानी से कोई शक नहीं करता इसलिए विभिन्न प्रकार की तस्करी में महिला अपराधी संलग्न हैं। मादक-द्रव्यों के अवैध व्यापार में भी महिलाओं की भागीदारी दुर्भाग्य से काफी बढ़ गई है। इसके अलावा चोरी, जेवतराशी बच्चों के अपहरण आदि अपराधों में भी महिला अपराधियों की मांग काफी बढ़ गई है, जो एक खतरे का संकेत है।

आज के अत्याधुनिक, सभ्य सौर सुसंस्कृत समाज में भी महिला, पुरुष के आधीन है, पुरुष-शसित है। उसका बचपन, पिता के आधीन रहता है तो पिता के बाद वह भाई के अधीन हो जाती है। विवाह के बाद-भाई के बंधन उसके ऊपर से ढीले पड़ने लगते हैं लेकिन पति का शिकंजा उस पर कसने लगता है कि यदि हम इतिहास के पन्ने पलटें, अतीत का सिंहावलोकन करें तो पता चलता है कि स्त्री हमेशा से ही पुरुषों से अधिशासित होती आई है उस पर तरह-तरह के परम्पारूपी शिकंजे कस दिए जाते हैं, उसे अपमानित और शोषित किया जाता है। कई बार तो स्त्री के खिलाफ अमानवीय हिंसक व्यवहार किया जाता है उसे पशु समान मारा-पीटा जाता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है

कि आज भी स्त्री को सिर्फ भोग्या समझ कर उसका शरीर नोचा-खसोटा जाता है, उसका शील भंग किया जाता है और अपनी पशुवत काम वासना की पूर्ति के बाद उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। इसे नारी जाति का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि नारी के विरुद्ध किए जाने वाले इन शोषण में अक्सर कोई स्त्री ही शोषण का साथ देती है, उसे प्रेरित व प्रोत्साहित करती है।

नारी के साथ अन्याय हुआ है व हो रहा है। यह सामान्य रूप से कही जा रही सदियों की कहानी है, जो आँसुओं की भाषा से नारी कहती आई है जो उसकी विवशता की प्रतीक है नारी शोषण का भी लम्बा इतिहास रहा है। हर युग की अपनी परम्पराएँ रही है, अपनी मान्यताएँ, अपेक्षाएँ व आकांक्षाएँ रही है। साम्राज्यवादी व सामन्तवादी युग में नारी विलासिता की वस्तु बनी रही और रूप राशि का ही मूल्य वह पाती रही, लुटती रही, पीटती रही, बिकती रही, शोषित होती रही, शोषित के आँसू रोती रही? उस युग में कुछ भी नया नहीं था क्योंकि उस युग कि मान्यता ही "वीरभोग्या वसुन्धरा थी। सौन्दर्य की स्वामिनी सीता, सत्यभामा, रूकमणी, अम्बा, अम्बे, अम्बालिका, द्रोपदी, संयुक्ता सभी स्वयम्बर के संसार में वीरत का उपहार बनती रही। नारी शोषण क्यों ?

पुरुष ने अपने बाहुबल के अहंकार में अपने पुरुषत्व के पूर्णरूपेण जीने की चाह में नारी का शोषण किया है। इस आदिकालिन शोषण इतिहास का कारण क्या है? इस संदर्भ में कई विचारधाराएँ प्रतिपादित हैं कई तर्क दिए जा सकते हैं, किन्तु एक सामान्य अनुभव है उनके अनुसार बलवान ने सदा दुर्बल पर शासन किया है। तूफान ने सदा ही दीये को बुझाया है, दीये ने कभी तूफान का रास्ता नहीं मोड़ा और न उसको रास्ता दिखाया है।

यह निर्बलता व सबलता का प्रसंग स्त्री व पुरुष की कहानी को समझने में सहायक हो सकता है। युद्ध का यह सर्वमान्य विजय सत्य है कि सदा प्रहार वहाँ किया जाता है जहाँ सबसे कमजोर भाग है। पुरुष ने नारी के साथ समग्रता से जीवन जीया भी है। तो कभी-कभी नारी के साथ जीवन को संघर्ष मानकर जीवन संग्राम नारी के विरुद्ध लड़ा है और नारी ने भी कई बार इस संदर्भ में कई निष्फल व सफल संग्राम जीते हैं, चाहे वह जीवन

में युद्ध सदा ही अपनी ममता व प्रणय प्रियता तथा स्नेहिलता के कारण हारती रही हो।

नारी पुरुष की पूर्णताभञ्जी

यही सही है कि यदि नारी नहीं होती तो पुरुष का जीवन भी व्यर्थ ही था। नारी के संदर्भ में पुरुष की आशा है, निराशा है, सफलता है, विफलता है, व्यथा है, सुख है, दुख है व जीवन जीने की चाह है। उर्मी प्रकार नारी भी अर्धांगिनी है। बिना नारी के पुरुष जीवन भी अधूरा है। नारी नहीं होती, तो पुरुष का जीवन की पूर्णतया निस्तेज व रसहीन होता। नारी व पुणों के बिना इस धरती पर जीवन कैसा। बिना रंगों के यह संसार जीने योग्य क्यों? यह नारी ही है, जिसने पुरुष के जीवन को अर्थ दिया, पुरुषार्थ को बल दिया व जीने का उद्देश्य दिया। सारा ऐश्वर्य यश, धन व बल जो भी पुरुष कमाता है, वह सब नारी को जीतने के लिए रहता है। नारी ने ही पुरुष को जीना सिखाया और नारी ने ही पुरुष के जीवन में इन्द्रधनुषी रंग दिए व रंगेरलियाँ दी।

फिर भी नारी ने पुरुष का साथ एक मित्र के रूप में न देकर एक दासीभाव के साथ जीकर भी दिया है। कोमलता पुरुष कठोरता के हाथों मर्पित की गई है। यही नारी जीवन की विडम्बना है, यही उसकी त्रासदी है। उसकी निरीह मानसिकता ही पुरुष के अचेतन मस्तिष्क को नारी को शोषित करने को प्रेरित करती आयी है। यही कहानी है नारी शोषण की।

यह बात नहीं कि नारी यह नहीं जानती कि वह पुरुष का भाग्य है, भोग है, भंवर है, धार है, किनारा है, सुयोग है और साथ में वियोग भी फिर भी वह पुरुष से अधिशाषित क्यों है? पुरुष के समक्ष अपने को अशक्त क्यों मानती है? पुरुष ने अबला नाम जो इसको दिया, इसने उसे क्यों स्वीकार किया? आँसुओं से अपने शोषण का इतिहास क्यों लिखा? हर पुरुष की प्रथम व अन्तिम इच्छा होती है कि सुन्दरतम नारी उसकी अपनी हो। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक कविता लिखी—पुरुष की चाह जिसकी प्रथम पंक्ति है—

चाह नहीं मैं सुरबाला
के गहनों में गूथा जाऊ
चाह नहीं मैं प्रेमी माला

में बिध, प्यारी को ललचाऊं
जहाँ पुष्प की इच्छा किसी सुखाला के गहनों में
जाने की नहीं है, वहाँ पुरुष की प्रथम व अन्तिम
ही किसी सुखाला के साथ गुंथ जाने की क्यों रही
हर पुरुष का यह स्वप्न है कि धरती की अनिहा
अपनी सहवासिनी हो, जिसका वह एक
स्वामी हो। हर पुरुष चाहता है कि कवि कालिदास
उसकी अप्रतिम सौन्दर्य मूरत उसकी अंकशायिनी
के नाटक अनिजान शाकुन्तलम की नायिका शकुन्तला
जैसे कोई अप्रतिम सौन्दर्य मूरत उसकी अंकशायिनी
जैसे, वह जो चन्द्रिका के समान उज्ज्वल हो, जो घनाघ्रात
पुष्प (बिना सूँहो पुष्प) के समान सुवासिन व अभोग्या
अबल यौवना हो, जिसकी रूप ऋषि किसी भी प्रकार से
शुभिल न हो, साधारण परिधानों में भी जिसकी रमणीकता
में कोई कभी न आती हो जैसे कमल के सेवल घास
से आवृत होने पर भी वैसे ही रमणीक हो अर्थात जो
शैलेनामपि रम्यम हो मधुकर के समान मधुमय हो, कवि
को कल्पना का साकार रूप हो। मंदिर में जलते दिए की
शिखा की तरह तेजस्वी, प्रखर प्रकाशमान व अग्नि के
समान पवित्र हो, जो खिलते गुलाब के समान कोमल
शीनियाँ लिए हो, जो इन्द्रधनुष के समान सतरंगी आभायुक्त
हो, जो ऋंगार रस प्रधान गीत की भावना के समान
उददात हो।

नारी व्यथा, अनंत कथा?

महात्मा गाँधी ने बिना झिझक के स्पष्ट शब्दों में
विश्व समुदाय के समझ अपनी भावना व्यक्त की भारत
में लिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसलिए नहीं कि
वह मेरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसलिए नहीं कि
वह मेरी मातृभूमि है, बल्कि इसलिए कि मैंने सबसे
ज्यादा अच्छाई इसी में पाई है।

भारतीय आदर्शवादिता व सैद्धान्तिक तात्विक
आध्यात्मिकता की दृष्टि से भारत निश्चय की संसार में
अच्छ देश है, जहाँ पारम्परिक मूल्यों के अनुसार सदाचारपूर्ण
जीवन जीने की प्रेरणा विभिन्न धर्मावलम्बियों के धर्म ग्रन्थ
देते हैं।

नारी की व्यथा को काव्य सुर मिले है अभिव्यक्ति
में यथार्थता है आहत संवेदनशीलता है कितनी सच्चाई
है—इन पंक्तियों में नारी के शब्दों में ही—

हँस—हँस के जिन्दगी के दुख छुपा रही हूँ मैं,
इस तम मे रोशनी के गीत गा रही हूँ।

मे—मे के काव्यी है मुझे जिन्दगी तमाम
बस कुछ पलों के लिए मुस्कुरा रही हूँ मैं।
नारी पूर्ण चैतन्य है जो आज उसे नादान या मूर्ख या
नासमझ है। नारी चैतावनी देती है:—

सबसे बड़ा नादान वही है,
जो समझे नादान मुझे।
कौन—कौन कितने पानी में,
सबकी है पदचान मुझे।

नारी का विचित्र चरित्र है। न जाने इमकी क्या
विवशता है कि यह मुस्कुराती भी है। तो मग छिपाने के
लिए? इसके सबसे मधुर गीत वे है, जो अवसाद सुर
मुखरित करते हैं। इनकी नियति क्या यही है? क्या
इससे अपेक्षा की जा सकती है? जो इस प्रकार
अभिव्यक्त है:—

हम मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहें।
काँटों में भी कलियाँ खिलते रहें।

दूरियाँ तितली भी चाहे भला
मंजिलों की तरफ हम अनवरत बढ़ते रहें।

राष्ट्रदूत साप्राहिक, पृष्ठ २०—२१ रविवार, ५
अक्टूबर १९९७ सेमीनार जयशंकर प्रसाद ने कहा था
पराधीनता से बढ़कर और कोई विडम्बना नहीं है।
भारतीय नारी आज इस विडम्बना से ग्रसित है। वह
अपने ही घर की दहलीज पर खड़ी सोच रही है पूरी
तरह से खुले में बाहर आ जाये वह पूरी तरह परतंत्र
है न स्वाधीन? वह द्वन्द्व में जी रही है। इसका अन्तः
द्वन्द्व आत्मकेन्द्रीत है, पुरुष के आकर्षण में या अपनी
वर्जनाओं की बेड़ियाँ पहिने मानसिकता में।
शोषण का निदान क्रांति या कानून

कुछ ऐसी जातियाँ और सम्प्रदाय है जहाँ स्त्री
को बिल्कुल गुलाम बना दिया गया है और उनको चारों
ओर ऐसी ऋखलाओं से जकड दिया गया है कि वह
बेचारी आदमी की काम पिपासा की तृप्ति का साधन
ओर घर की चारदीवारी के भीतर रहकर बच्चों को
पालने पोसने और खाना इत्यादि बनाने की मशीन
बनकर रह गई है जबकि समाज में दोनों को बराबर का
अधिकार है। कुछ देशों में और सम्प्रदाओं में उनको
लाजमी पर्दा करना और पर्दे के अन्दर रहना आवश्यक
है पर्दे से बाहर निकलने पर सजा मिलती है। भारत देश
में पर्दे का रिवाज आहिस्ता—आहिस्ता समाप्त हो रहा

है, लेकिन अभी एक सम्प्रदाय के लोग अपनी स्त्रियों को पूरी तौर से पर्दे में रखना धर्मानुसार आवश्यक समझते हैं जबकि उसी धर्म के अनुयायियों ने कुछ जगहों पर पर्दा बिल्कुल समाप्त कर दिया है इनमें तो कोई शक ही नहीं है कि यह पर्दे का रिवाज भी स्त्री की गुलामी का प्रतीक है।

भारतीय महिलाओं कि समस्याएँ

समस्याएँ अधिकांशतः सामाजिक क्षेत्र में जन्म लेती हैं और उनका संबंध अधिकतर नारी जाति से होती है विविध समस्याओं और कुप्रथाओं ने नारी जाति को बड़ी ही नावस्था में पहुँचा दिया है। पर्दाप्रथा के कारण नारी घर में बन्दिनी दी गई दहेज की समस्या ने पुत्री के जन्म को ही अप्रिय बना दिया। बाल-विवाह से विधवा समस्या और वेश्या समस्याओं का जन्म हुआ। स्त्री की समाज दयनीय स्थिति का कारण जहाँ उसका स्त्री होना है वहाँ इन समस्याओं के अभिशापों का उस पर लटना भी है। यह कहना बिल्कुल सही है कि निम्न वर्ग में नारी की कोई समस्या नहीं है किन्तु मध्य वर्ग में जो नारी घर की इज्जत है उसे अपनी इच्छाओं और आशाओं का गला घोटना पडता है। यों भी कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ समस्याओं का जुड़ा रहना उनकी नियति सी बन गई है। जब वह घर में कैद थी तब भी उसकी ढेरों समस्याएँ थी और आज भ जब वह बाहर की दुनिया में पूर्ण आत्म-निर्भरता के रास्ते तलाश रही है। ये बात और है कि समस्याओं के रूप और नाम बदले हैं उनकी भयावहता कम नहीं हुई है। भारतीय महिलाओं की समस्याओं और समाधान पर बहस चलाना आज भी सबसे बड़ी जरूरत है। आज का साहित्य नारी को केन्द्रीय भूमिका देकर इस दिशा में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है। कुछ प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार हैं:-

१. वैवाहिक समस्या

कहा जाता है कि पति-पत्नी, गृहस्थ जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं अर्थात् विवाह संबंध दोनों को बराबर के अधिकार देते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी पत्नी को पति के बराबर ही सभी अधिकार प्राप्त थे, दोनों का विकास करने की एक समान सुविधाएँ प्राप्त थी। दोनों के लिए समाज में समान नियम समान अधिकार और समान सुविधाएँ प्राप्त थी। दोनों के लिए समाज में समान

नियम समान अधिकार और कर्तव्यों का प्रावधान था। वैदिककालीन समाज में भी पत्नी को पति के समान ही अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि पति और पत्नी को पति के समान ही अधिकार प्राप्त थे लेकिन धीरे-धीरे पुरुषों ने स्त्री पर विभिन्न पाबन्दियाँ लगायी शुरू कर दीं परिणामतः स्त्री की दशा लगातार बिगड़ती गई। बाद में धार्मिक ओहदेदारों और धर्मशास्त्रों ने भी स्त्रियों पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व वैयक्तिक शिकंजे कसने शुरू कर दी। धीरे-धीरे समाज में स्त्रियों की दशा निरंतर दयनीय होती गई।

विभिन्न प्रकार के बंधनों के कारण स्त्रियों का व्यक्तित्व लगातार सिमटता गया, उनका विकास अवरूद्ध होता गया उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होता गया। बाद में कई ऐसी प्रथा भी शुरू हो गई जिन्होंने स्त्रियों की दशा को और भी खराब कर दिया जैसे वेपेल विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह। धीरे-धीरे स्त्री को मात्र भोग्या समझा जाने लगा उसे अपनी वासना पूर्ति के साधन के रूप में लिया जाने लगा।

२. पारिवारिक समस्या

संयुक्त परिवार परम्परा पति-पत्नी, चाचा-चाची, पुत्र-पुत्र वधुएं, भतीजे, नाती अविवाहित पुत्रियां पोतियां आदि सभी शामिल रहते हैं। स्त्रियों की एकजुटता के अभाव से आए दिन परिवार में झगडे होते रहते हैं सास ननद घर का काम नहीं करती और सम्पूर्ण कार्य का भार एक ही नारी पर आश्रित रहता है इस तरह देखने को मिलता है नारी ही नारी की दुश्मन बन उसे प्रताड़ित करती है। कई परिवारों में पति बेरोजगार होते हैं या उनकी मजदुरी कम होती है एवं कई शराबी जुआरी होते हैं जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार का भरण पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी इन महिलाओं पर होती है।

४. विधवा समस्या

हिन्दु समाज में आरम्भ से ही विधवाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। पति के मर जाने के बाद स्त्री को जीवित रहते हुए लगभग मृतक के समान जीवन व्यतीत करना पडता है। हिन्दु समाज में एक विधवा को जीवित रहने का अधिकार तो दिया गया है, परन्तु उसे जीने के सुखों से वंचित रखा गया है।

५. बाल-विवाह

बाल-विवाह के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। विधवा हो जाना कसती है एवं उन्हें जो भी नहीं जानती जीवन पर्यन्त अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यौन शोषण
आज यौन शोषण की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएँ होती हैं। इसका प्रमाण है कि मजबूरी, अज्ञानता व गरीबी, लुचारी आदि का शोषण इसके विशेषता द्वारा पूर्ण रूप से उदाया जाता है।

दहेज की समस्या
दहेज एक ऐसी ही कुरीति है जिसके कारण हजारों स्त्रियाँ इसकी बलिबेदी पर चढ़ जाती हैं। दहेज के रूप में शुरू हुई दहेज की यह परम्परा आज अनिवार्यता बन गई है। कई बार ऐसा होता है कि दहेज की मात्रा से सन्तुष्ट नहीं होता है। ऐसे में प्रताड़ित करने का एक अंतहीन सिलसिला चलाया जाता है। कई बार घर-पक्ष वाले स्वार्थ में इतने दहेज की माँग की जाती है कि वे अपनी बहू की हत्या कर देते हैं।

महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की समस्या
अक्सर देखने-सुनने को मिलता है कि बलात्कार के बाद अपराधी पीड़िता हत्या कर देता है। वह अपनी अपमान छुपाने के उद्देश्य से करता है। जब बलात्कारी सज्जन व्यक्ति होता है तो वह यह सोचकर पीड़िता की हत्या कर देता है कि वह स्त्री कहीं बाद में उसे देखकर अपमान न ले। कभी-कभी बलात्कारी पीड़िता या पारिवारिक निकट रिश्तेदार, सहपाठी, सहकर्मी या पड़ोसी भी होता है। ऐसा व्यक्ति कामुकता के जोर में बलात्कार तो कर बैठता है लेकिन फिर उसे लगता है कि पीड़िता उसके बारे में सबको बता देगी और कानून का शिकंजा उसके चोरा फस जाएगा इसी भय से युक्ति पाने को परिचित बलात्कारी पीड़िता की हत्या कर देता है।

१. वेश्यावृत्ति की समस्या

वेश्यावृत्ति एक ऐसी समस्या है जिसकी कोई परिधि निर्धारित नहीं की जा सकती। वस्तुतः वेश्यावृत्ति के अन्तर्गत प्रत्येक हिस्से में सभी देशों के सभी समाजों में व्याप्त है। स्त्री जब स्वेच्छा से अथवा किसी मजबूरी के कारण देह-व्यापार के धन्धों में उतर आती है तो वह सामूहिक कामुकता और यौन-उत्तेजना की प्रतिमूर्ति बनी जाती है। कानून की नजर से देखें तो कमाने के उद्देश्य

से किसी स्त्री द्वारा पुरुषों को अपने साथ सहवास करने की अनुमति देना ही वेश्यावृत्ति है।

१०. साक्षरता की समस्या ११. समाज में दूसरे दर्जे का माना जाना १२. संबंध विच्छेद १३. कामकाजों में महिलाओं की समस्याएँ
कृष्ण सोबती की कहानियों में व्यक्त नारी समस्याएँ कहानियों में व्यक्त-व्यक्तिगत समस्या

१. कृष्ण सोबती की नारी प्रथम दृष्टया विशुद्ध शरीर के स्तर पर जीवन जीती दिखाई देती है। मुष्ण नायिका की भाँति अपनी जिन्दगी जीने में वह इतनी तल्लीन है कि अपने अतिविकृत उम्र और कुल भी नहीं दिखाई देता। इसका अर्थ यह नहीं कि वे स्वार्थी है बल्कि यह अर्थ है कि यह नारियाँ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से इतनी विरग रहती हैं कि उन्हें वक्त ही नहीं मिलता समाज की ओर देखने का जो उनकी निगाहों के तीर चला रहा है।

२. प्रेम पाने में असफल होने की समस्या ३. भोगीतर द्वारा दूसरा विवाह करने की समस्या ४. वृद्धावस्था की समस्या

५. पति द्वारा छोड़ दिए जाने की समस्या ६. मातृत्व की समस्या ७. सन्तानहीन होने की समस्या ८. अनाथ होने की समस्या

९. कहानियों में व्यक्त सामाजिक समस्या १०. रूढ़ी परम्परा की समस्या ११. योग प्रस्तता की समस्या

१२. मानसिक स्तर पर विक्षिप्त बेटे की समस्या १३. घर से बाहर होने की समस्या १४. वेश्यावृत्ति की समस्या

नारी व पुरुष का अहंकार संदर्भ

सृष्टि रचना में शक्ति रूपा नारी का विशिष्ट स्थान है, किन्तु ममतामयी, करुणानिधि, दयासागर नारी जन्म से अहम' का वयम' भाव से जीती है। इसी कारण नारी तृवणा रूप से माया बनकर विश्वास रूप में जीती है तभी वह पूर्ण नारी कहलाती है और इसका सांसारिक जीवन धन्य माना जाता है। जैसा कि हर कोई कहता है तुम क्या गई हमारे जीवन से खुशी ही चली गई पुरुष ने अपने अहम भाव को क्रियाशील तो किया है और कुछ पाया भी है किन्तु इसने सदा नारी के 'योगदान' को नकारा है, नारी की भूमिका को संकल्प का

संस्कार नहीं देना दिया है जीवन क्षेत्र में आयुद्ध होने के लिए मानसिक, आत्मिक व शारीरिक बल का वर्द्धन नारी को पुरूष भगवान से कभी नहीं मिला है, उसी ने नारी को अपने पार्श्विक 'अहंकारी' भाव के वशीभूत को लेकर 'त्रिया' 'अबला' माया व छलना कहा है। इस प्रकार पुरूष ने नारी के अस्तित्व को ही जीवन संघर्ष में नकार दिया है।

नारी शोषण समस्या समाधान

सुप्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने कभी एक नारा दिया था— एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, जबकि एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है।

आज कि परिस्थितियां विपमता लिए है नारी कि अपनी इच्छाएँ है, इच्छाओ की अपनी कुण्ठाएँ हैं नारी का अपना अहंकार है। समशब्दि स्वामिनी नारी दूसरी साध नहीं नारी को दासी बनाकर रखती है, पारिवारिक परिवेश में नारी वर्चस्व की लड़ाई है, कामकाजी महिलाओं की अपनी सीमा है। परिवार में अपना स्थान है, वर्चस्व है वरीयता है, अहंकार है, पराश्रयी नारी सम्मीनया नहीं। उसका अहम आहत है, चाहे संबंधों में उसका ऊँचा स्थान हो बेरोजगार, तिरस्कृत अशिक्षित नारी की अपनी व्यथा है, अपना दुर्भाग्य है, परित्यक्त, विक्षिप्त शोषित नारी की अपनी व्यथा है, अपना दुर्भाग्य है और फैशन शो में लाखों की खरीददारी करने वाली नारी का अपना शून्यावश्त वर्चस्व है।

क्या समस्त प्रबुद्ध, समशब्द, सबल, शासन, प्रशासन सत्ताधारी नारियों ने अपने उपेक्षित, दलित, उत्पीड़ित नारी वर्ग के बारे में सोचा है? क्या उसको दर्दितता से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्न किए हैं। निर्णय का बल कौन? यदि वह मनुष्य होता तो मालिक को निर्बल का बल व दीन बन्धु राम नहीं माना जाता। सही वर्जनाएँ, रूढ़ियां, परमपराएं सभी नारी के लिए है।

इतिहास साक्षी है कि सदा दुर्बल पर ही अत्याचार हुए है। देवता भी बकरे की बलि लेते हैं सिंह की नहीं। आज की प्रबुद्ध नारी अपनी अशिक्षित पराश्रयी, उपेक्षित, उत्पीड़ित नारी उत्थान के बारे में सोचना है। ऐसी नीतियां बने कि जगत जननी रूपा नारी को मानवोचित व्यवहार मिले, इसको खुशहाल जीवन जीने का आधार मिले। ऐसी राष्ट्रीय नीतियां बने कि संवैधानिक वैज्ञानिक व

सामाजिक स्तर पर नारी का शोषण रोकना नारी को पतित दलित, शोषित, उत्पीड़ित नारियों को प्रबुद्ध, स्वायत्त जीवन मिले, उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, व्यवसायिक उत्पादन जीवन में उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य हो, व्यवसायिक उत्पादन परक शिक्षा मिले। बाल-विधवा व दहेज प्रथा तथा माता-पिता द्वारा शोषण को रोकना विवाह प्रथा समाप्त हो, स्वायत्तकी वर से विवाह हो, वचन सहमति अधिकार मिले, ऐसी शीघ्रनीतियां को सम्मति में अधिकार मिले। अवांछनीय वैवाहिक जीवन में शीघ्र तलाक मिले। पहले कमाई, बाद में सगाई, वैध चेतना जागे।

किन्तु अब यह मानसिकता अधिक समय तक चलने वाला नहीं है। क्रान्ती के पथ पर अग्रसर हो सकती है। अब पुरूष के सचेत होना है अपने अहंकार को त्यागना नारी के गुणों का सम्मान करना है उसके कलात्मकता में आत्मसुख खोजना है। इस वैश्वीकरण युग में सशक्त राष्ट्र चाहिए।

"खुशहाल नारी समशब्द देश।

यह हो जन-जन का संदेश।

इस पुरूष गर्वित व पौरुष महामण्डित समाज में जहां लिंगभेद है और नारी को दासी रूप माना जाता है जो नारी का चैतन्य रूप स्वीकार्य नहीं है। वहां सामाजिक जीवन सुन्दर नहीं हो सकता है। पुरूष इसका सहयोगी हो सकता है स्वामी नहीं इस भाव से सुखी जीवन को साधिकार जीने का नारी समुदाय संकल्प ले, तो यह सबकुछ पा सकता है जिसने उसे वंचित किया हुआ है। यह जान ले कि पुरूष स्वार्थ उसे वह अधिकार रूप में नहीं देगा जो उसका जन्मजात अधिकार है। इसके लिए उसे दशद प्रतिज्ञ होना है होलिका के समान हिरणकश्यप की आज्ञा पर जलकर नहीं मरना है पूतना के रूप में कंस की आज्ञा मानकर राधा की प्रीति के आधार को नहीं मिटाने गोकुल नहीं जाना है निर्दोष होते हुए भी शकुन्तला के रूप में दुर्वासा के श्राप को नहीं सहना है, अपितु दुर्वासा को भी अभिशापित करना है पवित्र होते हुए भी गौतम पत्नी अहिल्या के रूप में शिला बनकर रसहीन होकर उद्धार की प्रतीक्षा नहीं करनी है, कुन्ती के कहने वस्तु बनकर द्रोपदी रूप में नहीं बंटनी है, रमा रूप में समाधि सत् का अवतार रूप सीता को

पतिव्रत धर्म निभाने के लिए नहीं देना है।
भारती के गर्भ में समाधि नहीं लेना है उसे तो अम्बा
मवालिका बनकर गंगापुत्र भीष्म की शिखण्डी रूप
लेकर विवश नारी को हरण करने का पाठ
है और शरशैव्या के कष्टों में देखकर उस पर दया
करनी है उसे रूपमणी बनकर कृष्ण की माया बनना
चाहे उसे युद्ध को ही आमंत्रित क्यों न करना पड़े।
यदि नारी में यह अधिकार चेतना जागे तो संभव

आज विश्व कल्याण एक पानी से भरे कटोरे के
रूप में है, जिसमें हर देश के आकाश के सूरज की
प्रतिबिम्ब देखी जा सकती है। आज की नारी को समग्र रूप
से सगठित हो कर प्रयत्न करना है संघर्षरत होना है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में पंचवर्षीय

योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक महिला सशक्ति
करण एवं विकास के उद्देश्य पर केन्द्रीय सरकार द्वारा
व्योक्त योजनाओं में पिछले एक दशक में संख्यात्मक
दृष्टि से अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसी क्रम में संविधान
के वायदों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने एक
नए महिला नीति का भी निर्माण किया है। इन संगठनों
की नीति के सफल क्रियान्वयन द्वारा महिलाओं के
सशक्तिकरण से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गैर
सरकारी संगठनों/महिला संगठनों/स्वरोजगार प्रशिक्षण
संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इससे शहर में
महिला सशक्तिकरण द्वारा विकास के लिए एक जागरूक
पर्यावरण तैयार हुआ है जो स्त्रियों को स्वतंत्र आत्मविश्वास
एवं स्वावलंबी बनाने में एक आधार मूल मंच तैयार
रूप में प्रथाशरत है।

अधिकांश महिला विकास कार्यक्रम केन्द्र राज्य
के सह-संबंध द्वारा संचालित है। इनका मुख्य उद्देश्य
नोपित महिलाओं में निर्णय निर्धारित शक्तियों से विकसित
कर उन्हें राज्य के विकास की मुख्यधारा से प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है।

योजनाएँ

समाज में महिलाओं की स्थिति एवं परिस्थिति
को बढ़ाये एवं उनके शोषण एवं शोषणवादी कुरीतियों को
समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में कई प्रकार की
महिला कल्याणकारी योजनाएँ सरकार द्वारा संचालित
की जा रही है। उनमें से कुछ योजनाएँ राज्य सरकार द्वारा
वर्षिक अन्य योजनाएँ भारत सरकार के सहयोग से

संचालित की जा रही है। इन सभी योजनाओं का प्रमुख
उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक
बल प्रदान करना है। इन योजनाओं को जन-जन तक
पहुँचाने के लिए आवश्यक है कि जन समुदाय विशेष
रूप से महिलाओं का इन कार्यक्रमों/योजनाओं की
पूर्णरूपेण जानकारी हो तभी महिलाओं के समग्र विकास
के लिए वातावरण निर्मित हो सकेगा।

इसी दिशा में समाज कल्याण विभाग द्वारा
महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनेक योजनाएँ की
है जो कि गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं के माध्यम से
क्रियान्वित की जा रही है। ये योजनाएँ मुख्य रूप से दो
प्रकार की है:-

(अ) सामाजिक उत्थान योजनाएँ - जैसे महिला
अल्पवासगृह योजना, परिवार परामर्श कार्यक्रम, महिला
जागरूकता प्रसार कार्यक्रम व कामकाजी महिला होस्टल
कार्यक्रम। (ब) आर्थिक उत्थान व स्वरोजगार कार्यक्रम,
व्यवसायिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे महिलाओं
के लिए रोजगार एवं आय नजक यूनिट यह कार्यक्रम
NORAD द्वारा सहायता प्राप्त है। उपरोक्त योजनाओं का
वर्णन निम्न प्रकार से है:-

१. महिला अल्पवास गृह कार्यक्रम-

महिलाओं तथा लड़कियों के संचालित
अल्पवास गृह कार्यक्रम का उद्देश्य पारिवारिक समस्याओं
मानसिक तनाव सामाजिक बहिष्कार शोषण तथा अन्य
कारणों से नैतिक खतरे से ग्रस्त महिलाओं तथा लड़कियों
को अस्थायी आवास तथा पुनर्वास उपलब्ध कराना है।
इन ग्रहों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में
चिकित्सा मनोवैज्ञानिक उपचार व्यावसायिक उपचार
शैक्षणिक तथा व्यावसायिक सुविधाएँ आदि शामिल है।

२. परिवार परामर्श कार्यक्रम

महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अत्याचारों
की घटनाओं परिवार में मतभेद और असमायोजन की
समस्या का मूल कारण विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक,
आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक विकृतियाँ है। इस कार्यक्रम
का उद्देश्य दंपतियों और परिवारों को टूटने से बचाने
तथा विशेष रूप से परिवार और समाज में सद्भावना
बढ़ाकर समाज के ताने बाने को सशक्त बनाना है। इस
कार्यक्रम के माध्यम से अत्याचार से पीड़ित महिलाओं
और बच्चों का पुनर्वास तथा अन्य संबंध सेवाएँ प्रदान

की जाती है। इसके अलावा व्यक्ति या परिवार अथवा महिलाओं से संबंधित अन्य पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं को भी हल करने का प्रयास किया जाता है।

३. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

इस कार्य को शहरी युवा कामकाजी महिलाओं को अनाच्छनीय एवं समाज विरोधी तत्वों के शोषण से बचाने और सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत निम्न आय वर्ग की कामकाजी महिलाएँ भी सम्मिलित हैं।

४. निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता प्रसार कार्यक्रम—

महिला जागरूकता प्रसार कार्यक्रम का शिविर गरीब एवं प्रताडित परिवार की महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ वे इकट्ठे होकर अपने आपसी अनुभवों और विचारों का आदान-प्रदान कर सकती हैं। इस प्रकार उन्हें वास्तविकता को समझने का अवसर मिलता है और वे अपनी समस्याओं को हल करने तथा अपनी जरूरतों को पूरा करने के उपाय खोज सकती हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और महिलाओं के जीवन स्तर पर उनके प्रभाव संबंधी जानकारी और संबंधित कानूनों को लेकर स्वास्थ्य और विज्ञान तक सभी विषयों पर तकनीकी जानकारी देने तथा महिलाओं के विकास के लिए तथा अन्याय के विरुद्ध संगठित करने की आवश्यकता और कार्य योजना पर बल दिया जाता है।

५. महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं के कार्य कौशल को बढ़ाया जाए ताकि उन्हें गाँवों तथा स्थानीय क्षेत्रों में ही रोजगार अथवा कार्य के अवसर प्राप्त हो सकें।

६. महिलाओं के लिए सह आयोत्पादक एकड़ इकाई स्थापित कराना (नोराड)

इस योजना के अंतर्गत रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारस्परिक तथा व्यवसाय/पेशे यथा—कम्प्यूटर प्रशिक्षण, रेडिमेंड वस्त्र, कशीदाकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स—इत्यादि में प्रशिक्षण देने के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

७. कृष्ण सोबती का कथा साहित्य कृष्ण सोबती की नारी कृष्ण सोबती जी कहती है कि हमें अपनी बेटी, अपनी बहू को इज्जत की नजर से देखना होगा एक

राष्ट्र में एक साथ जन्म में वाले दो लोगों को स्वयं समान अधिकार मिलते हैं उसका उपयोग महिला क्यों न करे। कृष्णा सोबती जी ने औरत के नए जमाने के साथ बदलते रूप को चित्रित किया है सिर्फ परिवार कुटुम्ब के पोषण और संचालन की भावनात्मक क्रियाएँ अब स्त्री की उपलब्धि नहीं। उसके होने का कथ्य और जैविक प्रभाव समाज भी व्यवस्था से सरकार उनके व्यक्तित्व में केन्द्रीत हो रहा है। ग्रामीण समाज की वह निरक्षर महिलाएँ भी जो कुछ कमा सकती हैं अपनी बेगार भाव मेहनत के बदले अपने में बदलाव महसूस करती हैं। यह पूरी प्रक्रिया उसकी अस्थिरता का बिन्दु है। वह पुरानी सांस्कृतिक मान्यताओं और वैचारिक पुरूष परम्पराओं को चुनौती दे रही हैं। स्त्री—पुरूष एक दुसरे के निकटतम है। घनीष्ट मित्र है' पूरक है। स्वामी और दास की। साफ हो यह बात कि स्त्री पुरूष इस धरती पर जीवन कि अटूट धारा को सुरक्षित रखने वाले हैं। साथ—साथ पलते हैं, एक साथ घर बनाते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। इस दुनिया को खुबसुरत बनाते हैं।

राष्ट्र के श्रेष्ठ संतानों के महान राष्ट्रीय कार्य का दर्जा देकर मातृत्व को हर सुविधा संरक्षण और मान्यता देना राष्ट्र धर्म माना जाना चाहिए। बराबरी का मतलब भी स्त्री—पुरूष बराबरी ही क्यों? एक नारी दूसरी नारी से बराबरी क्यों नहीं? नारी—नारी के बीच की असमानता भी मिटाई जानी चाहिए। पुरूष की जन्मदात्री और उसके निर्माण विकास की उत्तरदायी होने से स्त्री—पुरूष से उच्च है, केवल अपने मानवीय गुणों और अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन से अपनी स्थिति को मान्यता दिलाने की जरूरत है, नारे बाजी से या केवल हक मांगने से नहीं क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलते कमाने पड़ते हैं, अधिकारों का अर्जन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ना है। यह संघर्ष जितना तीव्र होता है नीति उतनी ही सुनिश्चित होती है। यह अर्जन तीव्र गौरवमय होता है। नारी की दशा या स्थितियाँ जानकर उन समस्या का निदान खोजने में ही समाधान निहित है। आने वाले कल की तैयारी समस्याओं का हल है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं:— हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से सुलझा सके। उनके लिए यह काम न कोई कर सकता है और न किसी को करना

हो चाहिए। और हम भारतीय नारियां संसार की अन्य
किन्हीं भी नारियों की भांति इसे करने की क्षमता रखती
हैं।

हजार बुझे दीमक एक दीप नहीं जला सकेगा।
एक जला दीपक दीवाली मना सकता है। युग बदला
समस्याएँ बदली। आप अपनी विवेक जागृत रखिए।
आज हर एक नारी को सिंहवाहिनी होना है।

संदर्भ सूचि

१. भारत में महिला अपराध लेखक अंजली पृष्ठ नं.११
२. वही ३६
३. वही ३६
४. महिला और मानवाधिकार लेखक एम.ए.अंसारी पृष्ठ २२५
५. नारी तुम क्या थी लेखक एम.ए.अंसारी पृष्ठ ५९
६. वही पृष्ठ ६०-६१
७. नारी जीवन सुलगते प्रश्न लेखक एम.ए.अंसारी पृष्ठ ७५
८. शोषण का निदान क्रांति का कानून लेखक मिट्ठनलाल
त्रिवेदी पृष्ठ ११७
९. नारी जीवन सुलगते प्रश्न पृष्ठ १८०
१०. भारत में महिला अपराध पृष्ठ ५६
११. नारी शोषण समस्या एवं समाधान लेखक डॉ.
राजकुमार पृष्ठ १०९-११०
१२. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र लेखक डॉ.
एम.एम.लवानिया शशि के.जैन पृष्ठ ८४
१३. भारत में महिला अपराध लेखक अंजली पृष्ठ ४४
१४. वही ४२
१५. वही ९९
१६. कृष्णा सोबती की कथा साहित्य एवं नारी समस्याएँ
लेखक डॉ.शहनाज जाफर वासमेट पृष्ठ १५५-१६२
१७. नारी जीवन सुलगते प्रश्न लेखक एम.ए.अंसारी
पृष्ठ १४०-१४१
१८. नारी तुम क्या थी पृष्ठ ३०३
१९. महिला सशक्तिकरण लेखक डॉ. प्रियंका माथुर पृष्ठ ६९
२०. वही २०, ७३
२१. कृष्णा सोबती की कथा साहित्य पृष्ठ ६३



30

शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक चेतना की उपादेयता

विनोद कुमार कूकना
अनुसंधाता

राष्ट्रीय संस्कृतम् संस्थानम्, नई दिल्ली

नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के जन्मदिवस २३
जनवरी ६८ को पश्चिमी नगर छात्र निकाय की ओर से
उपरोक्त संदर्भ में एक परिचर्चा का आयोजन किया
गया था। नेताजी सुभाष भारतीय युवजनों के लिए
गुलामी के दिनों में भी राष्ट्रीयता के सशक्त प्रतीक थे
और नेता जी के तमाम प्रयत्नों में देश-काल-पात्र का
पूरा ध्यान रहता था। साथ ही उन्होंने राष्ट्र की परम्पराओं
और प्रवृत्तियों के संदर्भों में देश को नेतृत्व किया था।
परिचर्चा श्री सुबोध कुमार भट्टाचार्य ने प्रारंभ की।
परिचर्चा का सभापतित्व पं. रमापति शुक्ल, संरक्षक
पश्चिमी निकाय ने किया।

सुबोध कुमार भट्टाचार्य (पी.यू.सी):- नेताजी
के नाम के स्मरण के साथ ही समूचे राष्ट्र का गौरव
झलकने लगता है। उनके समस्त कार्यों में भी राष्ट्रीयता
और देशीपन झलकता है। लेकिन इधर हमारा सामाजिक
गठन बिगड़ चुका है और यह पाठ्यक्रम में भी झलकता
है। किन्तु आज की सामाजिक अव्यवस्था, मर्द-औरत
के रिश्तों से फैली अव्यवस्था, विद्यार्थी (किशोरों) को
उद्वेलित, पथभ्रष्ट करती है। क्योंकि शैक्षणिक वातावरण
में इस तरह की सांस्कृतिक चेतना नहीं है, जिसका
वजह से आज विद्यार्थी मात्र भौतिक सुख साधन व
अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाता जा रहा है। यदि आज
विद्यार्थी को अपनी संस्कृति और परम्परा नहीं अक्ल
है तो हमारी व्यवस्थाएँ और समाज विदेशी प्रभाव
आक्रान्त और दिग्भ्रमित होता रहेगा।

धनंजय कुमार मिश्र (एम.ए. अंग्रेजी) हमारे

International Referred Journal